न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./59/2023

1. अमरी पत्नी उगमा जाति गुर्जर
2. कालू पुत्र उगमा जाति गुर्जर
3. छोटू पुत्र उगमा जाति गुर्जर
4. पप्पु पुत्र उगमा जाति गुर्जर
5. शिवराज पुत्र उगमा जाति गुर्जर
6. हंजा पत्नी उगमा जाति गुर्जर सभी समस्त निवासीगण ग्राम भैरूखेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. गीता पत्नी बद्री जाति बागरियां निवासी ग्राम भैरूखेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. प्रधान पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी ग्राम खायड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. महावीर पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी ग्राम खायड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. सुरेश पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी ग्राम खायड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. रामा पुत्र भागू जाति गुर्जर निवासी ग्राम भैरूखेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. रामदेव पुत्र हरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भैरूखेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. हीरालाल पुत्र हरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भैरूखेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. घीसीदेवी पत्नी रामा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भैरूखेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
9. छगना पुत्र जवारा जाति बागरिया निवासी ग्राम भैरूखेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
10. सायरी पत्नी रतन जाति बागरिया निवासी ग्राम भैरूखेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम — निर्णय दिनांकः–13.02.2023

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– मौहम्मद युसुफ
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा भैरूखेड़ा पटवार क्षेत्र नीमेड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 5 में दर्ज खसरा नं. 17 रकबा 0.48, खसरा नं. 19 रकबा 0.55 और खसरा नं. 20 रकबा 0.59 कुल किता 03 कुल रकबा 1.62 हैं0** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 10 प्रार्थीगण की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 11

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 10 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं0 01 लगायत 10 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं, तथा प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होना बताया। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम भैरूखेड़ा के खाता संख्या 05 संवत 2071–2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा भैरूखेड़ा पटवार क्षेत्र नीमेड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 5 में दर्ज खसरा नं. 17 रकबा 0.48, खसरा नं. 19 रकबा 0.55 और खसरा नं. 20 रकबा 0.59 कुल किता 03 कुल रकबा 1.62 हैं0** हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)